आज़ादी का अमृत महोत्सव

भीम BHIM

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांकः प.17(1)नविवि/अभियान/2021 जयपुर दिनांक 4 JUL 2022

आदेश

शहरों के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग व अन्य सड़कों के मार्गाधिकार पुनः निर्धारण कर पट्टे देने के सम्बन्ध में :–

कई शहरों में राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के बाई पास बन गये हैं जिससे शहर के अन्दर के राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग उस शहर की अन्य सड़कों की तरह नगरीय सड़कों की श्रेणी में शामिल हो गये है और अब ये राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के रूप में नहीं रहे हैं। ऐसी अन्दर की सड़कों की चौड़ाई राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के आधार पर या उससे अधिक मास्टर प्लान में रखी गई है जबकि उनके दानों तरफ निर्माण हो गया है। ऐसी स्थिति में इन सडकों के मार्गाधिकार का पुनः निर्धारण कर पट्टे दिये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की जावेः–

(i) सड़कों के मार्गाधिकार का पुनः निर्धारण स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा किया जायेगा।

(ii) पुनः निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार हीं योजनाओं/भूखण्डों का अनुमोदन/नियमन किया जा सकेगा।

(iii) जिन कालोनियों का पूर्व में नियमन राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग की सीमा को छोड़ते हुए किया गया है, जिससे कई भूखण्डों का नियमन नहीं हो सका है या आंशिक भाग का नियमन हुआ है तो पुनः अन्य निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार भूखण्डों के पट्टे दिये जा सकेंगे या पट्टों के क्षेत्रफल में संशोधन किया जा सकेगा।

(iv) शहर के अन्दर मास्टर प्लान की अन्य सडकें जिनके दोनों ओर 80 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो चुका है एवं मास्टर प्लान व मौके पर सडक की चौडाई में भिन्नता है तो मौके के मध्यनजर सडकों की चौड़ाई का पुनः मार्गाधिकार निर्धारण स्थानीय एम्पावर्ड समिति द्वारा किया जावे तथा पुनः निर्धारित मार्गाधिकार के अनुसार पट्टे दिये जावे।

(v) नगरीय योग्य क्षेत्र में विद्यमान सड़कों पर स्थित कृषि भूमि पर भूखण्डों का निर्माण/सृजन होकर दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग हो चुका है वहॉ विद्यमान मुख्य सड़क के मध्य से सड़क क्षेत्र की गणना सुविधा क्षेत्र में कर भूखण्डों के पट्टे दिये जा सकेंगें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. जोगाराम)
शासन सचिव
स्वायत्त शासन विभाग

(कुंजीलाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव
नगरीय विकास विभाग

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान जयपुर।
7. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
8. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
10. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
11. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद्/पालिका समस्त राजस्थान।
12. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
13. सचिव, नगरीय विकास विभाग, समस्त राजस्थान।
14. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamSc